# भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां सवैंधानिक प्रवधान एवं पर्यावरण संरक्षण

***प्रदीप कुमार**

जलवायु परिर्वतन का सामना करने वाले भारत जैसे विकासशील देशों के लिये जलवायु परिवर्तन सबसे बडी चुनौती बना हुआ है। और इसके प्रति ये देश सबसे अधिक संवेदनशील भी है जलवायु के बदलने का प्रभाव आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी पडेगा। जहां भारत में गरीबी को समाप्त करने जैसे बडी समस्या प्राथमिक तौर पर है । यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचे के कन्वेंशन के तहत होने वाले बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन की बातचीत में भारत का बडा दांव लगा हुआ है। पहले अधिक आज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट है ।1979 में जेनेवा में आयेजित विश्व जलवायु सम्मेलन में इस समस्या के सामने आने के बावजूद ग्लोबल वार्मिगं से निपटने के लिये एक ढाचें के निर्माण में दो दशक से ज्यादा का समय लग गया है ।इस समस्या से निपटने में किसी कारगर अतंर्राष्ट्रीय सहमति पर पहुंचने में देरी की हैं ओजोने के कवर के समाप्त होने की समस्या को कम करने वाले मांट्रियल प्रोटोकल के मामले में व्यापक सहमति थी और बहुत तेजी से इस कार्य को संगठित कर लिया गया । इस तरह से अलग अलग देशों की धारणाओं की समझ और स्थितियां कारगर कार्यवाही की संभावनाओं को खोलना आसान कर देती हैं।

जलवायु परिवर्तन मानसून को अनिश्चित बना देता है। इसका उदाहरण – दक्षिण एशिया में मानसूनी बरसात पर निर्भर गेहूं की खेती पर सबसे बुरा असर पडेगा । और अनाज के कुल उत्पादन में कमी आ जायेगी । यदि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखे तो उपज पर भी प्रभाव पडेगा इससे खाद्य असुरक्षा,जीवन के खतरे का संकट जैसी कई समस्या उत्पन्न होगीं । समुद्र तटीय इलाके में समुद्र का उचां होता स्तर जिससे मछलियों की नर्सरी के इलाके को अत्यधिक प्रभावित करेगी । जिसके चलते तटों पर कटाव और बाढ का खतरा भी बढ जायेगा । आर्कटिक इलाका,अफ्रीका का सब सहारा,छोटे द्वीप और गंगा एवं बह्मंपुत्र समेत एशिया के बडे डेल्टा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगें ।

भारत को यदि अपनी गरीबी खत्म करके मानव विकास के लक्ष्य को हासिल करना है तो 25 सालों तक 8 से लेकर 10 फीसदी की आर्थिक विकास की जरूरत है । ये बात योजना आयोग की एकीकृत ऊर्जा नीति पर बनी विशेषज्ञों की समीति की 2006 की एक रिपोर्ट में कही गयी है । देश की प्राथमिक ऊर्जा की सप्लाई के मामले में भी 2003–04 के मुकाबले उसमें तीन से चार गुना की वृद्वि करनी होगी । भारत के आर्थिक विकास की गति से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पहले के मुकाबले अधिक हो जायेगा । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अपने उत्सर्जन को कम करने के बारे में विचार करना चाहिए ।

### ग्रीन हाउस गैसो से उत्पन्न होने वाली समस्या–

घातक होती समस्याओं का प्रभाव–जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक गरीब तबका प्रभावित होगा । जिसका उदाहरण 1996 में आंध्र प्रदेश आए चक्रवात से लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी । और बड़ी सम्पत्ति का नुकसान हुआ था । यदि इतना भंयकर चक्रवात अमेरिका में आया होता तो शायद इतना जन धन प्रभावित न होता । इसकी वजह स्थाई और टिकाऊ रहने की व्यवस्था और दूसरे बुनियादी ढांचे और संकट से जूझ रहे लोगों के लिये सुरक्षा जाल की उपलब्धता है ।

### ऊर्जा नीति के बदलाव से प्रभाव–

जलवायु परिवर्तन से ऊर्जा नीति अत्यधिक प्रभावित हो रही है जिसके लिये भारत को अपनी ऊर्जा नीति को परिवर्तित करना होगा । खासकर मौजूदा कोयला और गैस आधारित ऊर्जा प्रणाली में प्रतिस्थापना करना । सीओ 2 उत्सर्जन

*शोध छात्र (राजनीति विज्ञान विभाग) डी0एस0बी0 कैम्पस नैनीताल, कुमॉऊ विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड

की कमी की कीमत जीडीपी में कमी और गरीबों में बढ़ोत्तरी के तौर पर चुकानी पडती है अनुमानित है कि वार्षिक उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य का इस्तेमाल करते हुए 30 सालों में 30 फीसदी सीओ2 की कटौती से जीडीपी में चार फीसदी की गिरावट आएगी और इन तीन सालों में गरीबी में 17.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी ये बदलाव 2030 तक सामने आयेगें । कल्याण के स्तर को बनाए रखने के मामले में वार्षिक कटौती के लिये 278 बिलियन डॉलर और एक मुश्त कटौती के लिये 87 बिलियन डॉलर की न्यूनतम क्षतिपूर्ति की जरूरत है । भुगतान बहुत बड़ी है और ये समय काल के शुरूआती सालों में ही केन्द्रीत है तथा क्षतिपूर्ति के लिये एक व्यवहारिक रणनीति की जरूरत होगी जिसका सभी सालों में फैलाव हो भले ही उसके लिये इन सालों में ज्यादा पूंजी लगानी पड़े ।

**जलवायु परिवर्तन पर भारत की नकारात्मक स्थिति –**

भारत कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन करने वाले ऊपर के 10 देशों में शामिल है लेकिन वैश्विक अवसत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का अभी भी छठा हिस्सा है । इससे भी आगे इसने ऊर्जा खपत में महज 3.7 फीसदी की वृद्वि के साथ 8 फीसदी की विकास दर हासिल की है । ग्रीन हाउस गैस की वृद्वि में कटौती के प्रतिबद्धता का भारत विरोध कर सकता है और वह भी विकसित दुनिया साथ बौद्धिक संपदा के हस्तांरण की बात मांग करेगा ।

भारतीय संविधान की धारा 48क अपने एक प्रावधान में कहता है कि सरकार देश के पर्यावरण में सुधार और उसकी रक्षा के साथ वनों और जगंली जानवरों की सुरक्षा करेगी । ये सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी हैं और इसके उल्लंघन का अत्यधिक बुरा प्रभाव पडेगा । धारा 51छ में कहा गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के पालन प्रत्येक नागरिक का बुनियादी कर्तव्य होगा ।

भारत का कहना है कि विकासशील देशों से ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की प्रतिबद्धता अन्यायपूर्ण है क्योंकि इन समस्याओं के लिये ये देश बहुत कम भूमिका निभा रहे हैं विकसित देशों की अपेक्षा जिसमें अमेरिका जिसकी आबादी दुनिया की आबादी का 4 फीसदी हैं और जो 23 फीसदी उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार है । ने भी क्योटो प्रोटोकॅल के तहत कटौती की प्रतिबद्धता को खारिज कर दिया है यहीं भारत मानव विकास सूचकाकं में 126वें स्थान के साथ 16 फीसदी आबादी का निर्माण करता है वो दुनिया के 5.1 फीसदी उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार है भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सालाना 1.2 मीट्रिक टन है जो बडे औद्योगिकष्त देशों की तुलना में कम है वही अमेरिका का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 19.8 मीट्रिक टन और कनाडा का 17.5 मीट्रिक टन है ।

जबकि चीन और भारत मिल कर दुनिया के पाचवें हिस्से के उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार है और उनमें निरन्तर ऊर्जा का विकास बढ रहा है ।आखिरी दशक में चीन की अर्थव्यवस्था 10.2 फीसदी की दर से बढ रही है । इसके ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर 4 फीसदी है और इसके ऊर्जा की खपत प्रतिवर्ष 5.6 फीसदी है ं भारत की अर्थव्यवस्था जो 2006 में 9.2 फीसदी की दर से बढ़ रही थी वो बहुत तेजी से चरन को पकड़ने की तरफ अग्रसर है । यदि भारत की वृद्धिदर इसी स्थिति में बनी रहती तो 2020 तक ऊर्जा की मांग दुगुनी से ज्यादा हो जायेगी ।

भारत जलवायु परिवर्तन पर यूएन ढांचागत कन्वेंशन और उसके क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं ये जी8प्लस पांच ग्लेनिगेल्स वार्ता में हिस्सेदारऔर स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया पैसिफिक साझेदारी का सदस्य है और जलवायु शोध और तकनीकि पर इंग्लैण्ड, अमेरिका और यूरोपिय समुदाय के साथ द्विपक्षीय रिश्ते हैं । नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भारत का अमेरिका के साथ विवादित समझौते से भी महत्वपूर्ण जलवायु लाभ हासिल होने की संभावना है । भारत के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने यह अनुमान लगाया है कि 2015 तक भारत में नाभिकीय ऊर्जा में 40 मेगावाट टन की बढ़ोत्तरी हो जायेगी । जिससे सीओ2 में 300 मिलियन टन कटौती होगी । भारत औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी तथा अपनी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर जोर देता है ।

कृषि पर अत्यधिक बुरा प्रभाव– एक परीक्षण के दौरान कुमार और पारिख ने अध्ययन में भारत में कृषि की फसलों की उपज,जीडीपी और कल्याण पर जलवायु परिवर्तन के असर का परीक्षण किया है ।जिसमें भारत में 2.5 डिग्री सेल्सियस से 4.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढोत्तरी होगी । तथा इनके अनुमान के मुताबिक कार्बन आई आक्साइड के निषेचन प्रभाव पर विचार किए बगैर चावल और गेंहू की पैदावार में क्रमशः 32 और 40 फीसदी और 41 और 52 फीसदी की कमी आएगी । अपने कृषि उत्पादन के लिये भारत पूर्व से ही मानसून पर निर्भर रहा है इसके नाकाम होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

समुद्र के जल स्तर पर वृद्धि का खतरा– समुद्रों के तटीय स्तर में बढतें जल स्तर से पलायन होना स्वभाविक है क्योकि समुद्रों में जल स्तर का बडा खतरा तटीय स्थानों को डुबों देगी । जिससे गरीब देशों के निचले इलाकों में पर्यावरण शरणार्थी पैदा हो सकते है तथा समुद्र के पानी के भूमिगत पानी से मिलने और तापमान में बदलाव से कृषि और मछली से होने वाली आय में कमी हो जायेगी । इस प्रकार यह एक क्रम है जो एक के बाद दूसरे को फिर तीसरे स्तर को प्रभावित करेगा ।

हमारे संविधान में पर्यावरण सरंक्षण के लिये कुछ प्रावधान किये गये है । संविधान के अनुसार ही भारत के नागरिकों को अधिकार,सुरक्षा,स्वतंत्रता दी गयी है अतः सम्पूर्ण भारत के निवासी इसे मानने के लिये बाध्य भी है । जब संविधान बना उस समय इसमें पर्यावरण से संबधित कोई प्रावधान नही था । परन्तु 47वें अनुच्छेद द्वारा स्वास्थ्य की उन्नति हेतु राज्य का कर्तव्य अधिरोपित कर पर्यावरण सुधार किया गया । अतः 42 वें संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये अधिनियमों को पारित कर संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया । इसके अतंर्गत कहा गया है –

48वें अनु0 में राज्य पर्यावरण सुधार एवं सरंक्षण की व्यवस्था करेगा। तथा वन्य जीवन के सुरक्षा प्रदान करेगा।

भाग 4क के अनु0 51 में मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अतंर्गत वन, झील,नदी अन्य जीव भी आते है इनकी रक्षा करे और उनका संर्वधन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखें ।

21वें अनु0 में कहा गया है कि व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाना चाहिए,जो उसके जीवन स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुॅचाता हो।

अनु0 252 व 253 को काफी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिये अधिकृत करते हैं ।

पर्यावरण के बचाव हेतु –सरकार द्वारा किये गये प्रयास–

- वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972
- जल प्रदूषण नियंत्रण अधि0 1974
- वायु प्रदूषण निंयत्रण अधि01981
- पर्यावरण सरंक्षण अधि01986
- खतरनाक अवशिष्ट प्रअंधन एवं नियंत्रण अधि01989
- ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण अधि02000
- भारतीय दंड संहिता 1860
- इकोमार्ग स्कीम

## संन्दर्भ सूची

1– डां0 रणजीत भार्गव, 3 भारतीय पर्यावरण इतिहास" के झरोखे से,पृष्ठ संख्या 8।

2– मपाजी ए. सिनजेला, 3 डेवलपिग कंट्रीज पर्सैप्शन्स आफ इनवायर मेण्टल प्रोटेक्शन एंड एकनामिक डेवलपमेन्ट3 आईजे आईएल वाल्यूम 24 (1984) पृ0489।

3– अग्रवाल,आरसी 3 भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आदोलन", एस.चंद एंड कंपनी लिमिटेड,नई दिल्ली,2000,प0055।

4– कुमार त्रिपाठी प्रद्युम्न 3 भारतीय सविंधान के प्रमुख तत्व" प्रथम संस्करण,1981,पृ035।

5– वर्ल्ड फोकस, अकं 35वां भारतीय विदेश नीति भाग 2,फरवरी 2015, बी–49,(ग्राउड फलोर) जोशी कालोनी, आईपी एक्सटेंशन,दिल्ली–110092,भारत पृ079

6– योजना विशेषांक, दिसंबर 2015, जलवायु परिवर्तन और संपोषणीयता, 648,सूचना भवन,सीजीओ परिसर, लोधी रोड,नयी दिल्ली–पृ049